UPMO010027672026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– अंचल लवानियाँ (एच0जे0एस0)– यू0पी0–2411

विविध दाण्डिक वाद संख्या– 209/2026

सम्बन्धित ई0 सी0 एक्ट संख्या 35/1984
धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट
थाना सम्भल कोतवाली, तत्कालीन
जिला मुरादाबाद। हाल जिला सम्भल।

राज्य प्रति अरविन्द कुमार पुत्र ओंकार सरन
पूर्व निवासी मौहल्ला कोट, थाना सम्भल,
वर्तमान जिला सम्भल।
वर्तमान निवासी निकट कूप मन्दिर,
दुर्गा कालोनी, सम्भल थाना सम्भल,
जिला सम्भल।

**25–03–2026**

प्रार्थी/दोषसिद्ध अभियुक्त अरविन्द कुमार की ओर से दिनांक 24–03–2026 को प्रार्थना पत्र मय शपथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसको दिनांक 24–04–1987 को दोषसिद्धि करते हुये 9 माह के कारावास तथा 3000/रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था। उसने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल अपील संख्या– 1207/1987 अरविन्द कुमार बनाम उ0 प्र0 राज्य दायर की थी, जिसमें दिनांक 28–01–2026 को निर्णय पारित करते हुये उसके दण्डादेश 9 माह का Undergone अवधि 8 दिन करते हुये संशोधन कर दिया गया तथा उसपर अधिरोपित अर्थ दण्ड मु0 3000/रूपये को बढ़ाते हुये 10,000/रूपये निर्णय दिनांकित 28–01–2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दो माह के अन्दर परीक्षण न्यायालय में जमा करने के आदेश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28–01–2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16–03–2026 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त कर अनुपालन करने हेतु प्रस्तुत कर रहा है। निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28–01–2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर ली जाकर अर्थ दण्ड अंकन 10,000/रूपये जमा कराये जाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के साथ अरविन्द्र कुमार पुत्र ओंकार सरन का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28–01–2026 का कम्प्यूटर अनुभाग से सत्यापन करा लिया गया।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा

पारित आदेश दिनांकित 28–01–2026 का ससम्मान अवलोकन किया।

मााननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपील स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया है कि–

1. The conviction of the appellant under Section 3/7 of E. C. Act is affirmed.

2. The sentence of 9 months of rigorous imprisonment is modified to the imprisonment already undergone 8 days.

3. The fine is enhanced from Rs. 3000/ to Rs. 10,000/. The enhanced fine shall be deposited within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this judgement. In default of payment of fine, the appellant shall undergo the default sentence as directed by the trial court."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त सम्मानित आदेश दिनांकित 28–01–2026 के अनुपालन में दोषसिद्ध/अभियुक्त अरविन्द कुमार लिपिक की आख्यानुसार फार्म नम्बर 9 विशेष परीक्षण पंजिका अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के रजिस्टर के अनुसार उक्त पत्रावली जिसका एस0एस0टी0 नम्बर 35/1984, अपराध संख्या 141/83, थाना सम्भल कोतवाली, अन्तर्गत धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट अरविन्द कुमार पुत्र ओंकार शाह की पत्रावली दिनांक 24–04–1987 को स्पेशल जज (ई0सी0 एक्ट) के न्यायालय से निर्णीत होना पाया जाता है।

अतः दोषसिद्ध/अभियुक्त अरविन्द कुमार को अंकन 10,000/रूपये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त सम्मानित आदेश के अनुपालन में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। दोषसिद्ध/अभियुक्त अरविन्द कुमार अविलम्ब अंकन 10,000/रूपये जमा करना सुनिश्चित करें, अर्थदण्ड जमा न किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध/अभियुक्त अरविन्द कुमार को उपरोक्तानुसार सजा भुगतने के लिये कारागार भेजा जावे।

(अंचल लवानियॉं)
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 2411
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–04, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.03.25 17:02:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court